प्रेषक,

पूर्ण देव उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
उ0प्र0, प्रयागराज।

वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांकः 28 मार्च, 2023

विषयः- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के सम्प्रेक्षाधीन संस्थाओं के सम्परीक्षा (ऑडिट) हेतु मानव दिवसों का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र अर्द्धशासकीय पत्र संख्या- शा0-434, दिनांक 27-12-2022 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-ऑडिट-811/दस-2011-101(33)/96, दिनांक 02-05-2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के लिए विभिन्न लेखाओं की उप सम्परीक्षा हेतु समय निर्धारण के मानक एवं निर्धारित मानक समय को अब निम्नांकित संशोधित किया जाता है:-

1. नगर पंचायतों की उप सम्परीक्षा हेतु तृतीय श्रेणी की नगर पालिकाओं के लिए निर्धारित 40 मानव कार्य दिवस के सापेक्ष कम से कम 16 मानव कार्य दिवस का समय।
2. नगर पालिका परिषद की तीनों श्रेणियों की लेखा परीक्षा हेतु निम्न विवरण के अनुसार समय का निर्धारण:-

1	श्रेणी एक	100 मानव कार्य दिवस
2	श्रेणी दो	70 मानव कार्य दिवस
3	श्रेणी तीन	40 मानव कार्य दिवस

3. नगर निगमों की सम्परीक्षा गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध पूर्ण कराने हेतु निम्न विवरण के अनुसार समय का निर्धारण:-

क्रमांक	**नगर निकाय का नाम**	**निर्धारित मानव दिवस**
1	नगर निगम लखनऊ, कानपुर	600
2	नगर निगम आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद	500
3	नगर निगम वाराणसी, बरेली	400
4	नगर निगम मेरठ, अलीगढ़, गोरखपुर	300
5	नगर निगम अयोध्या, मथुरा वृन्दावन, झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद	250

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. अन्य लेखों की सम्परीक्षा हेतु वर्ष 2020-21 की सम्परीक्षा किये जाने वाले कुल व्यय के आधार पर प्रत्येक 80 लाख रूपये के व्यय पर दो मानव कार्य दिवस का समय अथवा शासनादेश दिनांक 02 मई 2011 द्वारा निर्धारित मानव कार्य दिवस में से जो भी कम हो।

यदि किसी संस्था के व्यय के आधार पर अधिक मानव दिवस आगणित हो रहा है तो निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ०प्र० द्वारा यथोचित कमी करने तथा किसी लेखे की सम्परीक्षा में गम्भीर अनियमितता पाए जाने पर सम्परीक्षा आख्या पारण अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक को 20 प्रतिशत तक मानव दिवस में वृद्धि करने का अधिकार होगा।

5. अन्य छोटे विविध लेखाओं की उप सम्परीक्षा हेतु न्यूनतम 01 मानव कार्य दिवस का समय लेखे के आय-व्यय के आधार पर निदेशक द्वारा समय में उचित वृद्धि की जा सकती है।

6. शासनादेश दिनांक 02 मई 2011 के बाद जो संस्थाएं इस विभाग की सम्परीक्षा से निष्कासित की जा चुकी है उनको छोड़कर शेष संस्थाओं तथा विभाग के सम्परीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित अन्य नई संस्थाओं के मानव दिवस का निर्धारण वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए उपर्युक्त प्रस्तर-4 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

7. विशेष सम्परीक्षा :- शासनादेश के निर्देशानुसार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संस्थाओं की विशेष सम्परीक्षा की जाती है। निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० द्वारा कार्य की मात्रा एवं प्रकृति के आधार पर विशेष सम्परीक्षा में लगने वाले समय का आकलन करने के पश्चात् उनकी संस्तुति के आधार पर किसी लेखे की विशेष सम्परीक्षा हेतु समय का निर्धारण किया जायेगा।

2- कृपया उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 02-05-2011 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

पूर्णदेव उपाध्याय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।